दिनांक 12/05/2022

पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थना पत्र 6 ग 2 मय शपथ पत्र 7 ग 2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व नियम 2 सपठित धारा 151 सी०पी०सी० पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा सूची 8 ग के साथ दाखिल प्रपत्रों मय पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। वादी ने यह वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री हेतु योजित किया है।

प्रथम दृष्टया मामले के तथ्यों एवम परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र 6 ग 2 पर सुनवायी का सम्यक अवसर दिये हुये एक पक्षीय रूप से वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का व्यादेश जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रतिवादी को नोटिस जारी हो। आपत्ति आमंत्रित हो। वाद वास्ते आपत्ति/निस्तारण प्रार्थना पत्र 6 ग 2 हेतु दिनांक 26/05/2022 को पेश हो। वादी पैरवी करे।

सिविल जज (जू०डि०) भोगनीपुर
कानपुर देहात।